

नवी मुंबई महानगरपालिका

मा.प्रशासक तथा आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका

बुधवार, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी भरलेल्या सभेतील मंजुर/नामंजूर इ. ठरावाची माहिती संक्षिप्त आणि मसूदा स्वरूपात खालीलप्रमाणे आहे:-

| | |
|---|---|
| विषय क्र.१. दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ | बेलापूर विभागातील शहाबाज गाव व बेलापूर गावांतील उर्वरीत गटाराची सुधारणा करणे, आयुक्तांचे दिनांक १७/०२/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुमपा/श.अ./४०४/२०२१. |
| ठराव क्र.६४५ | "उपरोक्त संदर्भात बेलापूर विभागातील शहाबाज गाव व बेलापूर गावांतील उर्वरीत गटाराची सुधारणा करणे, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.६६,५४,७४५/- (अक्षरी रक्कम रु. सहासष्ठ लक्ष चौप्पन हजार सातशे पच्चेचाळीस मात्र) (५% आकस्मिक खर्चासह + १२% GST सह) इतक्या रक्कमेस प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा. प्रशासक यांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात यावी." |
| निर्णय : | ठराव करण्यात येतो की, बेलापूर विभागातील शहाबाज गाव व बेलापूर गावांतील उर्वरीत गटाराची सुधारणा करणे, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे. त्यानुसार विषय क्रमांक ०१ ठराव क्रमांक ६४५, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.६६,५४,७४५/- (अक्षरी रक्कम रु. सहासष्ठ लक्ष चौप्पन हजार सातशे पच्चेचाळीस मात्र) (५% आकस्मिक खर्चासह + १२% GST सह) इतक्या रक्कमेस प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा. प्रशासक यांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे. |

सही/-

(चित्रा बाविस्कर)

नगरसचिव

नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-

(अभिजीत बांगर)

आयुक्त तथा प्रशासक

नवी मुंबई महानगरपालिका

| | |
|---|--|
| विषय क्र.२. दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ | आदिवासी वाड्यांसाठी मोरबे धरणातून पाणी उचलण्याची परवानगी ग्रा.पं. बोरगाव यांना देणे बाबत, आयुक्तांचे दिनांक १७/०२/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुम्पा/श.अ./४०५/२०२१. |
| ठराव क्र.६४६ | "उपरोक्त संदर्भात आदिवासी वाड्यांसाठी मोरबे धरणातून पाणी उचलण्याची परवानगी ग्रा.पं. बोरगाव यांना देणे बाबत, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे आदिवासी वाड्यांसाठी मोरबे धरणातून पाणी उचलण्याची परवानगी ग्रा.पं. बोरगाव यांना देणे बाबतचा पाणीपुरवठ्याचा दर रुपये ४.६० प्रती घन.मी. आकारणे. मोरबे धरणाची सुरक्षितता जपण्यासाठी व आक्षेपाह बाबी आढळल्यास त्याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्यास अधीन राहून पाणी उचलण्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम २०१ अन्वये महानगरपालिकेच्या हदीबाहेरील ग्राहकांना मोरबे धरण स्त्रोत धरून पाणी उचलण्याची परवानगी, उपरोक्त अटी, शर्ती व दराला प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ७३(क) अन्वये मा. प्रशासक यांची मंजुरी देण्यात यावी." |
| निर्णय : | <p>ठराव करण्यात येतो की,</p> <p>आदिवासी वाड्यांसाठी मोरबे धरणातून पाणी उचलण्याची परवानगी ग्रा.पं. बोरगाव यांना देणे बाबत, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे.</p> <p>त्यानुसार विषय क्रमांक ०२ ठराव क्रमांक ६४६, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे आदिवासी वाड्यांसाठी मोरबे धरणातून पाणी उचलण्याची परवानगी ग्रा.पं. बोरगाव यांना देणे बाबतचा पाणीपुरवठ्याचा दर रुपये ४.६० प्रती घन.मी. आकारणे. मोरबे धरणाची सुरक्षितता जपण्यासाठी व आक्षेपाह बाबी आढळल्यास त्याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्यास अधीन राहून पाणी उचलण्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम २०१ अन्वये महानगरपालिकेच्या हदीबाहेरील ग्राहकांना मोरबे धरण स्त्रोत धरून पाणी उचलण्याची परवानगी, उपरोक्त अटी, शर्ती व दराला प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ७३(क) अन्वये मा. प्रशासक यांची मंजुरी देण्यात येत आहे.</p> |

सही/-
 (चित्रा बाविस्कर)
 नगरसचिव
 नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-
 (अभिजीत बांगर)
 आयुक्त तथा प्रशासक
 नवी मुंबई महानगरपालिका

| | |
|---|--|
| विषय क्र.०३ दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ | बेलापूर विभागातील से-२० कार्तिक हेरटेज ते मातृ सोसायटी पर्यंतच्या पदपथाची सुधारणा करणे, आयुक्तांचे दिनांक १७/०२/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुम्पा/श.अ./४०६ /२०२१. |
| ठराव क्र. ६४७ | "उपरोक्त संदर्भात बेलापूर विभागातील से-२० कार्तिक हेरटेज ते मातृ सोसायटी पर्यंतच्या पदपथाची सुधारणा करणे, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. ४७,२३,८५५/- (अक्षरी रक्कम रु. सत्तेचाळीस लक्ष तेवीस हजार आठशे पच्चावन्न मात्र) (५% आकिस्मिक खर्चासह + १२% GST सह) इतक्या रक्कमेस प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा.प्रशासक व आयुक्त यांची प्रशासकीय मंजूरी देण्यात यावी." |
| निर्णय : | ठराव करण्यात येतो की, बेलापूर विभागातील से-२० कार्तिक हेरटेज ते मातृ सोसायटी पर्यंतच्या पदपथाची सुधारणा करणे, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे. त्यानुसार विषय क्रमांक ०३ ठराव क्रमांक ६४७, अन्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. ४७,२३,८५५/- (अक्षरी रक्कम रु. सत्तेचाळीस लक्ष तेवीस हजार आठशे पच्चावन्न मात्र) (५% आकिस्मिक खर्चासह + १२% GST सह) इतक्या रक्कमेस प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा.प्रशासक व आयुक्त यांची प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. |

सही/-
(चित्रा बाविस्कर)
नगरसचिव
नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-
(अभिजीत बांगर)
आयुक्त तथा प्रशासक
नवी मुंबई महानगरपालिका

| | |
|---|--|
| विषय क्र.४. दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ | बेलापूर विभागातील नेरुळ से.२३ दारावे येथील उर्वरीत रस्त्याची T.W.T सुधारणा करणे, आयुक्तांचे दिनांक १७/०२/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुंमपा/श.अ./४०७ /२०२१. |
| ठराव क्र. ६४८ | "उपरोक्त संदर्भात बेलापूर विभागातील नेरुळ से.२३ दारावे येथील उर्वरीत रस्त्याची T.W.T सुधारणा करणे, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सदरचे अंदाजपत्रकीय रक्कम रुपये ५,२९,७४,६१०/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी एकोणतीस लक्ष चव-याहत्तर हजार सहाशे दहा रुपये मात्र) (५% आकस्किम खर्च + १२& GST सह) इतक्या रक्कमेस प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा. प्रशासक यांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात यावी." |
| निर्णय : | ठराव करण्यात येतो की, बेलापूर विभागातील नेरुळ से.२३ दारावे येथील उर्वरीत रस्त्याची T.W.T सुधारणा करणे, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे. त्यानुसार विषय क्रमांक ०४ ठराव क्रमांक ६४८, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सदरचे अंदाजपत्रकीय रक्कम रुपये ५,२९,७४,६१०/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी एकोणतीस लक्ष चव-याहत्तर हजार सहाशे दहा रुपये मात्र) (५% आकस्किम खर्च + १२& GST सह) इतक्या रक्कमेस प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा. प्रशासक यांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे. |

सही/-
(चित्रा बाविस्कर)
नगरसचिव
नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-
(अभिजीत बांगर)
आयुक्त तथा प्रशासक
नवी मुंबई महानगरपालिका

| | |
|---|--|
| विषय क्र.५. दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ | वाशी विभागातील रस्त्यांची वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करणे या कामाचे सुधारीत कंत्राटाच्या मंजूरीबाबत, आयुक्तांचे दिनांक १७/०२/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुंमपा/श.अ./४०८ /२०२१. |
| ठराव क्र. ६४९ | "उपरोक्त संदर्भात वाशी विभागातील रस्त्यांची वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करणे या कामाचे सुधारीत कंत्राटाच्या मंजूरीबाबत, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे मे. जेकेडी. एंटरप्रायझेस या कंत्राटदारास यापुर्वीची कंत्राटाची रक्कम रुपये ८,३२,३०,०८९/- (जीएसटी सह) व वाढ झालेली रक्कम रुपये २,०५,४५,७४७/- असे एकुण कामाची सुधारित रक्कम रुपये १०,३७,७५,८३६/- (जीएसटी सह) (अक्षरी रुपये दहा कोटी सदोतीस लक्ष पंच्याहत्तर हजार आठशे छत्तीस मात्र) इतक्या खर्चाचे कंत्राट करण्यास प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ७३(क) अन्वये मा. प्रशासक यांची संमती देण्यात यावी." |
| निर्णय : | <p>ठराव करण्यात येतो की,</p> <p>वाशी विभागातील रस्त्यांची वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करणे या कामाचे सुधारीत कंत्राटाच्या मंजूरीबाबत, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे.</p> <p>त्यानुसार विषय क्रमांक ०५ ठराव क्रमांक ६४९, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे मे. जेकेडी. एंटरप्रायझेस या कंत्राटदारास यापुर्वीची कंत्राटाची रक्कम रुपये ८,३२,३०,०८९/- (जीएसटी सह) व वाढ झालेली रक्कम रुपये २,०५,४५,७४७/- असे एकुण कामाची सुधारित रक्कम रुपये १०,३७,७५,८३६/- (जीएसटी सह) (अक्षरी रुपये दहा कोटी सदोतीस लक्ष पंच्याहत्तर हजार आठशे छत्तीस मात्र) इतक्या खर्चाचे कंत्राट करण्यास प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ७३(क) अन्वये मा. प्रशासक यांची संमती देण्यात येत आहे.</p> |

सही/-
(चित्रा बाविस्कर)
नगरसचिव
नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-
(अभिजीत बांगर)
आयुक्त तथा प्रशासक
नवी मुंबई महानगरपालिका

| | |
|--|--|
| विषय क्र.द. दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ | वाशी विभागातील रस्त्यांची वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करणे या कामातील कमी/ जादा (Excess / Saving) बाबींच्या मंजूरीबाबत, आयुक्तांचे दिनांक १७/०२/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुम्पा/श.अ./४०९/२०२१. |
| ठराव क्र. ६५० | <p>"उपरोक्त संदर्भात वाशी विभागातील रस्त्यांची वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करणे या कामातील कमी/ जादा (Excess / Saving) बाबींच्या मंजूरीबाबत, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६७(३)(क) नुसार कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीत जनतेच्या सेवेसाठी किंवा सुरक्षिततेसाठी आवश्यक वाटेल अशी तातडीची कार्यवाही त्यांस या अधिनियमान्वये दुसऱ्या एखाद्या नगरपालिका प्राधिका-याच्या किंवा (राज्य) शासनाच्या मंजूरी, मान्यता किंवा प्राधिकाराशिवाय करता येत नसली तरीही अशी कार्यवाही केली पाहिजे त्यानुसार सदर कामामधील जादा बाबींची रक्कम रुपये २,३३,५०,३८५/- यासह कामाची सुधारित रक्कम रुपये १०,३७,७५,८३६/- यांस प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा. प्रशासक यांची सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देण्यात यावी."</p> |
| निर्णय : | <p>ठराव करण्यात येतो की,</p> <p>वाशी विभागातील रस्त्यांची वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करणे या कामातील कमी/ जादा (Excess / Saving) बाबींच्या मंजूरीबाबत, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे.</p> <p>त्यानुसार विषय क्रमांक ०६ ठराव क्रमांक ६५०, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६७(३)(क) नुसार कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीत जनतेच्या सेवेसाठी किंवा सुरक्षिततेसाठी आवश्यक वाटेल अशी तातडीची कार्यवाही त्यांस या अधिनियमान्वये दुसऱ्या एखाद्या नगरपालिका प्राधिका-याच्या किंवा (राज्य) शासनाच्या मंजूरी, मान्यता किंवा प्राधिकाराशिवाय करता येत नसली तरीही अशी कार्यवाही केली पाहिजे त्यानुसार सदर कामामधील जादा बाबींची रक्कम रुपये २,३३,५०,३८५/- यासह कामाची सुधारित रक्कम रुपये १०,३७,७५,८३६/- यांस प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा. प्रशासक यांची सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे.</p> |

सही/-
 (चित्रा बाविस्कर)
 नगरसचिव
 नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-
 (अभिजीत बांगर)
 आयुक्त तथा प्रशासक
 नवी मुंबई महानगरपालिका

| | |
|---|---|
| विषय क्र.०७ दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ | दिघा विभागातील प्र.क्र.३ मधील आंबेडकरनगर, बिंदुमाधवनगर, नवीन दुर्गानगर व गणेशनगर येथील गटर व पदपथांची सुधारणा करणे, आयुक्तांचे दिनांक १७/०२/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुम्पा/श.अ./४१०/२०२१. |
| ठराव क्र. ६५१ | "उपरोक्त संदर्भात दिघा विभागातील प्र.क्र.३ मधील आंबेडकरनगर, बिंदुमाधवनगर, नवीन दुर्गानगर व गणेशनगर येथील गटर व पदपथांची सुधारणा करणे, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे तरी सदर कामाचे अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. १,२८,७०,९९८/- (अक्षरी रु. एक कोटी अठठावीस लक्ष सत्तर हजार नवशे अठठयानौव रुपये मात्र) इतक्या रक्कमेस प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा.प्रशासक यांची प्रशासकीय मंजूरी देण्यात यावी." |
| निर्णय : | ठराव करण्यात येतो की, दिघा विभागातील प्र.क्र.३ मधील आंबेडकरनगर, बिंदुमाधवनगर, नवीन दुर्गानगर व गणेशनगर येथील गटर व पदपथांची सुधारणा करणे, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे. त्यानुसार विषय क्रमांक ०७ ठराव क्रमांक ६५१, अन्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे तरी सदर कामाचे अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. १,२८,७०,९९८/- (अक्षरी रु. एक कोटी अठठावीस लक्ष सत्तर हजार नवशे अठठयानौव रुपये मात्र) इतक्या रक्कमेस प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा.प्रशासक यांची प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. |

सही/-

(चित्रा बाविस्कर)

नगरसचिव

नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-

(अभिजीत बांगर)

आयुक्त तथा प्रशासक

नवी मुंबई महानगरपालिका

| | |
|---|--|
| विषय क्र.०८ दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ | दिग्दा विभागातील प्र.क्र.३ मधील गणपतीपाडा येथील गटर व पदपथांची सुधारणा करणे, आयुक्तांचे दिनांक १७/०२/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुम्पा/श.अ./४११/२०२१. |
| ठराव क्र. ६५२ | "उपरोक्त संदर्भात दिग्दा विभागातील प्र.क्र.३ मधील गणपतीपाडा येथील गटर व पदपथांची सुधारणा करणे, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे तरी सदर कामाचे अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. ३,२५,८९,५२४/- (अक्षरी रु. तीन कोटी पंचवीस लक्ष एकोणनव्वद हजार पाचशे चोवीस रुपये मात्र) इतक्या रक्कमेस प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा.प्रशासक यांची प्रशासकीय मंजूरी देण्यात यावी." |
| निर्णय : | ठराव करण्यात येतो की, दिग्दा विभागातील प्र.क्र.३ मधील गणपतीपाडा येथील गटर व पदपथांची सुधारणा करणे, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे. त्यानुसार विषय क्रमांक ०८ ठराव क्रमांक ६५२, अन्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे तरी सदर कामाचे अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. ३,२५,८९,५२४/- (अक्षरी रु. तीन कोटी पंचवीस लक्ष एकोणनव्वद हजार पाचशे चोवीस रुपये मात्र) इतक्या रक्कमेस प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा.प्रशासक यांची प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. |

सही/-

(चित्रा बाविस्कर)

नगरसचिव

नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-

(अभिजीत बांगर)

आयुक्त तथा प्रशासक

नवी मुंबई महानगरपालिका

| | |
|---|---|
| विषय क्र.०९ दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ | मोरबे धरण ते कंलबोली पर्यंतच्या मुख्य जलवाहिनीस विविध ठिकाणी Guniting करणे, आयुक्तांचे दिनांक १७/०२/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुमपा/श.अ./४१२/२०२१. |
| ठराव क्र. ६५३ | "उपरोक्त संदर्भात मोरबे धरण ते कंलबोली पर्यंतच्या मुख्य जलवाहिनीस विविध ठिकाणी Guniting करणे, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे मे. सुभाष इंटरप्रायझेस या कंत्राटदाराबरोबर अंदाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा -०.९९% कमी दराने रक्कम रु. २९,९६,४९१/- अधिक १२% जी. एस.टी. (रु. ३,५९,५७९/-) अशी एकत्रित रक्कम रु. ३३,५६,०७०/- (अक्षरी रु. तेहतीस लक्ष छप्पन हजार सत्तर मात्र) इतक्या खर्चास कंत्राट करण्यास प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ७३ (क) अन्वये मा.प्रशासक तथा आयुक्त यांची मंजूरी देण्यात यावी." |
| निर्णय : | ठराव करण्यात येतो की, मोरबे धरण ते कंलबोली पर्यंतच्या मुख्य जलवाहिनीस विविध ठिकाणी Guniting करणे, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे. त्यानुसार विषय क्रमांक ०९ ठराव क्रमांक ६५३, अन्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे मे. सुभाष इंटरप्रायझेस या कंत्राटदाराबरोबर अंदाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा -०.९९% कमी दराने रक्कम रु. २९,९६,४९१/- अधिक १२% जी. एस.टी. (रु. ३,५९,५७९/-) अशी एकत्रित रक्कम रु. ३३,५६,०७०/- (अक्षरी रु. तेहतीस लक्ष छप्पन हजार सत्तर मात्र) इतक्या खर्चास कंत्राट करण्यास प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ७३ (क) अन्वये मा.प्रशासक तथा आयुक्त यांची मंजूरी देण्यात येत आहे. |

सही/-
(चित्रा बाविस्कर)
नगरसचिव
नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-
(अभिजीत बांगर)
आयुक्त तथा प्रशासक
नवी मुंबई महानगरपालिका

| | |
|--|---|
| <p>विषय क्र.१०. दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१</p> | <p>ऐरोली से.१४ येथील न.मु.म.पा शाळा क्र.१०३ च्या इमारतीची दुरुस्ती व सुधारणा करणे, आयुक्तांचे दिनांक १७/०२/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुमपा/श.अ./४१३/२०२१.</p> |
| <p>ठराव क्र. ६५४</p> | <p>"उपरोक्त संदर्भात ऐरोली से.१४ येथील न.मु.म.पा शाळा क्र.१०३ च्या इमारतीची दुरुस्ती व सुधारणा करणे, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सदर कामावरील जादा खर्च रक्कम रुपये ६,२८,६४१/- तसेच कामात होणारी निव्वळ जादा (Net Excess) रक्कम रुपये २,२६,८८९/- सह सुधारित रक्कम रुपये ७०,२९,२८२/- (अक्षरी रुपये सत्तर लक्ष एकोणतीस हजार दोनशे ब्याएँशी मात्र) इतक्या रक्कमेस प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा. प्रशासक यांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात यावी."</p> |
| <p>निर्णय :</p> | <p>ठराव करण्यात येतो की,</p> <p>ऐरोली से.१४ येथील न.मु.म.पा शाळा क्र.१०३ च्या इमारतीची दुरुस्ती व सुधारणा करणे, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे.</p> <p>त्यानुसार विषय क्रमांक ०१ ठराव क्रमांक ६५४, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सदर कामावरील जादा खर्च रक्कम रुपये ६,२८,६४१/- तसेच कामात होणारी निव्वळ जादा (Net Excess) रक्कम रुपये २,२६,८८९/- सह सुधारित रक्कम रुपये ७०,२९,२८२/- (अक्षरी रुपये सत्तर लक्ष एकोणतीस हजार दोनशे ब्याएँशी मात्र) इतक्या रक्कमेस प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा. प्रशासक यांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे.</p> |

सही/-
(चित्रा बाविस्कर)
नगरसचिव
नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-
(अभिजीत बांगर)
आयुक्त तथा प्रशासक
नवी मुंबई महानगरपालिका

| | |
|--|--|
| विषय क्र.११. दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ | पारसिक हिल बेलापूर येथील कमान (प्रवेशद्वार) बांधणे करीता परवानगी मिळणेबाबत, आयुक्तांचे दिनांक १७/०२/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुंमपा/श.अ./ ४१४/२०२१. |
| ठराव क्र. ६५५ | "उपरोक्त संदर्भात पारसिक हिल बेलापूर येथील कमान (प्रवेशद्वार) बांधणे करीता परवानगी मिळणेबाबत, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे प्रस्तावातील अटी व शर्ती नुसार सदरचे काम पारसिक हिल रेसिडेन्सी असोसिएशन यांचे मार्फत स्वर्खर्चाने करावयाचे असल्याने सदर बाबत धोरणात्मक निर्णयासाठी प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा. प्रशासक यांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात यावी." |
| निर्णय : | ठराव करण्यात येतो की, पारसिक हिल बेलापूर येथील कमान (प्रवेशद्वार) बांधणे करीता परवानगी मिळणेबाबत, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे. त्यानुसार विषय क्रमांक ११ ठराव क्रमांक ६५५, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे प्रस्तावातील अटी व शर्ती नुसार सदरचे काम पारसिक हिल रेसिडेन्सी असोसिएशन यांचे मार्फत स्वर्खर्चाने करावयाचे असल्याने सदर बाबत धोरणात्मक निर्णयासाठी प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा. प्रशासक यांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत आहे. |

सही/-
(चित्रा बाविस्कर)
नगरसचिव
नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-
(अभिजीत बांगर)
आयुक्त तथा प्रशासक
नवी मुंबई महानगरपालिका

| | |
|---|---|
| <p>विषय क्र.१२. दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१</p> | <p>बेलापूर विभागातील आयकर कॉलनी मधील रस्त्यावर मलनिःसारण वाहिन्या टाकणे, आयुक्तांचे दिनांक १७/०२/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुंपा/श.अ./४१५/२०२१.</p> |
| <p>ठराव क्र. ६५६</p> | <p>"उपरोक्त संदर्भात बेलापूर विभागातील आयकर कॉलनी मधील रस्त्यावर मलनिःसारण वाहिन्या टाकणे, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे मे. जयसाई एंटरप्रायजेस यांनी अंदाजपत्रकीय रक्कम रुपये २७,४८,३९३/- पेक्षा २.०१ टक्के कमी दराने म्हणजेच रक्कम रुपये २६,९३,१५०/- अधिक १२% जी.एस.टी. रुपये ३,२३,१७८/- एकत्रित रक्कम रुपये ३०,१६,३२८/- (अक्षरी रुपये तीस लक्ष सोळा हजार तीनशे अडूवीस मात्र) इतक्या खर्चाचे कंत्राट करण्यास प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ७३(क) अन्वये मा. प्रशासक यांची मंजुरी देण्यात यावी."</p> |
| <p>निर्णय :</p> | <p>ठराव करण्यात येतो की,</p> <p>बेलापूर विभागातील आयकर कॉलनी मधील रस्त्यावर मलनिःसारण वाहिन्या टाकणे, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे.</p> <p>त्यानुसार विषय क्रमांक १२ ठराव क्रमांक ६५६, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे मे. जयसाई एंटरप्रायजेस यांनी अंदाजपत्रकीय रक्कम रुपये २७,४८,३९३/- पेक्षा २.०१ टक्के कमी दराने म्हणजेच रक्कम रुपये २६,९३,१५०/- अधिक १२% जी.एस.टी. रुपये ३,२३,१७८/- एकत्रित रक्कम रुपये ३०,१६,३२८/- (अक्षरी रुपये तीस लक्ष सोळा हजार तीनशे अडूवीस मात्र) इतक्या खर्चाचे कंत्राट करण्यास प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ७३(क) अन्वये मा. प्रशासक यांची मंजुरी देण्यात येत आहे.</p> |

सही/-
(चित्रा बाविस्कर)
नगरसचिव
नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-
(अभिजीत बांगर)
आयुक्त तथा प्रशासक
नवी मुंबई महानगरपालिका

| | |
|--|---|
| विषय क्र.१३. दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ | नवी मुंबई महानगरपालिका आरोग्य विभागात करार पद्धतीने (कंत्राटी) तात्पुरत्या स्वरूपात वेतनश्रेणीमध्ये तज्ज वैद्यकीय अधिकारी (नेत्रशल्यचिकित्सक) यांच्या नेमणुकीबाबत, आयुक्तांचे दिनांक १७/०२/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुम्पा/आरोग्य/ आस्था-३/१५५८/२०२१. |
| ठराव क्र. ६५७ | "उपरोक्त संदर्भात नवी मुंबई महानगरपालिका आरोग्य विभागात करार पद्धतीने (कंत्राटी) तात्पुरत्या स्वरूपात वेतनश्रेणीमध्ये तज्ज वैद्यकीय अधिकारी (नेत्रशल्यचिकित्सक) यांच्या नेमणुकीबाबत, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे तज्ज वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अफशा खान, नेत्रशल्यचिकित्सक करारपद्धतीवर (कंत्राट) तात्पुरत्या स्वरूपात ६ महिन्यांकरीता पेबँड क्र. ३ रुपये १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ५४००/- नुसार नेमणुक देणेकरीता प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा. प्रशासक यांची मान्यता देण्यात यावी." |
| निर्णय : | <p>ठराव करण्यात येतो की,</p> <p>नवी मुंबई महानगरपालिका आरोग्य विभागात करार पद्धतीने (कंत्राटी) तात्पुरत्या स्वरूपात वेतनश्रेणीमध्ये तज्ज वैद्यकीय अधिकारी (नेत्रशल्यचिकित्सक) यांच्या नेमणुकीबाबत, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे.</p> <p>त्यानुसार विषय क्रमांक १३ ठराव क्रमांक ६५७, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे तज्ज वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अफशा खान, नेत्रशल्यचिकित्सक करारपद्धतीवर (कंत्राट) तात्पुरत्या स्वरूपात ६ महिन्यांकरीता पेबँड क्र. ३ रुपये १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ५४००/- नुसार नेमणुक देणेकरीता प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह मा. प्रशासक यांची मान्यतादेण्यात येत आहे.</p> |

सही/-
(चित्रा बाविस्कर)
नगरसचिव
नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-
(अभिजीत बांगर)
आयुक्त तथा प्रशासक
नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-

सहा (चित्रा बाविस्कर)

नगरसचिव

नवी मंबर्ड महानगरपालिका

सही/-

(अभिजीत बांगर)

(आयुक्त तथा प्रशासक)

नवी मंबई महानगरपालिका

| | |
|---|---|
| <p>विषय क्र.१५. दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१</p> <p>ठराव क्र. ६५९ निर्णय :</p> | <p>नमुंमपा परिवहन उपक्रमाचे सन २०२०-२०२१ चे (सुधारित) व सन २०२१-२०२२ चे (मूळ) जमा खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे. त्यानुसार विषय क्रमांक १५ ठराव क्रमांक ६५९, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाचे सन २०२०-२०२१ चे सुधारित व सन २०२१-२०२२ चे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह अधिनियमाच्या कलम १०० अन्वये अंतिम स्विकृती देण्यात येत आहे.'</p> |
| <p>निर्णय</p> | <p>ठराव करण्यात येतो की,</p> <p>नमुंमपा परिवहन उपक्रमाचे सन २०२०-२०२१ चे (सुधारित) व सन २०२१-२०२२ चे (मूळ) जमा खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे.</p> |

सही/-

(चित्रा बाविस्कर)

नगरसचिव

नवी मंबई महानगरपालिका

सही/-

संग्रह

आयुक्त तथा प्रशासक

नवी मंबई महानगरपालिका

| विषय क्र.१६. दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ | <p>नमुमंपा वृक्ष प्राधिकरण सन २०२०-२०२१ चे सुधारित व सन २०२१-२०२२ चे मुळ अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत, उप आयुक्त (उद्यान) यांचे दिनांक १६/०२/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुमंपा/उद्यान/२६६/२०२१.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|---------------|---------|------------------|--------|--------------|---------|--------------------|--------|--------------|---------|-------------------------|--|---------------|---------|------------------|--------|--------------|---------|--------------------|---------|--------------|-------|-----------------------------|------------|---------------|---------|------------------|--------|--------------|---------|--------------------|--------|--------------|---------|-------------------------|--|---------------|---------|------------------|--------|--------------|---------|--------------------|---------|--------------|-------|
| ठराव क्र. ६६० निर्णय : | <p>"उपरोक्त संदर्भात नमुमंपा वृक्ष प्राधिकरण सन २०२०-२०२१ चे सुधारित व सन २०२१-२०२२ चे मुळ अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे नवी मुंबई महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरणाचा सन २०२०-२०२१ चे सुधारित व सन २०२१-२०२२ चे मुळ जमा खर्चाचे अंदाजपत्रक महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ चे कलम १६ अन्वये तयार करण्यात आले असून अंतिमित्या स्विकृत करण्यासाठी प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबीसह मंजूर करून मा. महानगरपालिका तथा प्रशासक यांचेकडे शिफारस करण्यात यावी."</p> <p>नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाचा सन २०२०-२१ चा सुधारीत व सन २०२१-२२ चे मुळ उत्पन्न व खर्चाचे खालील प्रमाणे अंदाज मा. महानगरपालिका तथा प्रशासक यांचे कडे सादर केले आहेत.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">सन २०२०-२१ चे सुधारीत अंदाज</th> <th style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">(रु.लाखात)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आरंभिक शिल्लक</td> <td style="text-align: right;">३८०२.८४</td> </tr> <tr> <td>अपेक्षित उत्पन्न</td> <td style="text-align: right;">४८५.४३</td> </tr> <tr> <td>एकूण उत्पन्न</td> <td style="text-align: right;">४२८८.२७</td> </tr> <tr> <td>एकूण अपेक्षित खर्च</td> <td style="text-align: right;">५१७.०१</td> </tr> <tr> <td>शिल्लक रक्कम</td> <td style="text-align: right;">३७७१.२६</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center; padding-top: 10px;">सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाज</th> <th></th> </tr> <tr> <td>आरंभिक शिल्लक</td> <td style="text-align: right;">३७७१.२६</td> </tr> <tr> <td>अपेक्षित उत्पन्न</td> <td style="text-align: right;">५२०.४२</td> </tr> <tr> <td>एकूण उत्पन्न</td> <td style="text-align: right;">४२९१.६८</td> </tr> <tr> <td>एकूण अपेक्षित खर्च</td> <td style="text-align: right;">४२३०.००</td> </tr> <tr> <td>शिल्लक रक्कम</td> <td style="text-align: right;">६१.६८</td> </tr> </tbody> </table> <p>महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १०० अन्वये मा. महानगरपालिका तथा प्रशासक यांनी मा. स्थायी समिती तथा प्रशासक यांचे उपरोक्त अंदाज व प्रस्ताव घेऊन खालीलप्रमाणे अंतिमित्या स्विकृत करीत आहेत.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">सन २०२०-२१ चे सुधारीत अंदाज</th> <th style="text-align: right; padding-bottom: 5px;">(रु.लाखात)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आरंभिक शिल्लक</td> <td style="text-align: right;">३८०२.८४</td> </tr> <tr> <td>अपेक्षित उत्पन्न</td> <td style="text-align: right;">४८५.४३</td> </tr> <tr> <td>एकूण उत्पन्न</td> <td style="text-align: right;">४२८८.२७</td> </tr> <tr> <td>एकूण अपेक्षित खर्च</td> <td style="text-align: right;">५१७.०१</td> </tr> <tr> <td>शिल्लक रक्कम</td> <td style="text-align: right;">३७७१.२६</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center; padding-top: 10px;">सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाज</th> <th></th> </tr> <tr> <td>आरंभिक शिल्लक</td> <td style="text-align: right;">३७७१.२६</td> </tr> <tr> <td>अपेक्षित उत्पन्न</td> <td style="text-align: right;">५२०.४२</td> </tr> <tr> <td>एकूण उत्पन्न</td> <td style="text-align: right;">४२९१.६८</td> </tr> <tr> <td>एकूण अपेक्षित खर्च</td> <td style="text-align: right;">४२३०.००</td> </tr> <tr> <td>शिल्लक रक्कम</td> <td style="text-align: right;">६१.६८</td> </tr> </tbody> </table> | सन २०२०-२१ चे सुधारीत अंदाज | (रु.लाखात) | आरंभिक शिल्लक | ३८०२.८४ | अपेक्षित उत्पन्न | ४८५.४३ | एकूण उत्पन्न | ४२८८.२७ | एकूण अपेक्षित खर्च | ५१७.०१ | शिल्लक रक्कम | ३७७१.२६ | सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाज | | आरंभिक शिल्लक | ३७७१.२६ | अपेक्षित उत्पन्न | ५२०.४२ | एकूण उत्पन्न | ४२९१.६८ | एकूण अपेक्षित खर्च | ४२३०.०० | शिल्लक रक्कम | ६१.६८ | सन २०२०-२१ चे सुधारीत अंदाज | (रु.लाखात) | आरंभिक शिल्लक | ३८०२.८४ | अपेक्षित उत्पन्न | ४८५.४३ | एकूण उत्पन्न | ४२८८.२७ | एकूण अपेक्षित खर्च | ५१७.०१ | शिल्लक रक्कम | ३७७१.२६ | सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाज | | आरंभिक शिल्लक | ३७७१.२६ | अपेक्षित उत्पन्न | ५२०.४२ | एकूण उत्पन्न | ४२९१.६८ | एकूण अपेक्षित खर्च | ४२३०.०० | शिल्लक रक्कम | ६१.६८ |
| सन २०२०-२१ चे सुधारीत अंदाज | (रु.लाखात) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आरंभिक शिल्लक | ३८०२.८४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अपेक्षित उत्पन्न | ४८५.४३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एकूण उत्पन्न | ४२८८.२७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एकूण अपेक्षित खर्च | ५१७.०१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| शिल्लक रक्कम | ३७७१.२६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाज | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आरंभिक शिल्लक | ३७७१.२६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अपेक्षित उत्पन्न | ५२०.४२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एकूण उत्पन्न | ४२९१.६८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एकूण अपेक्षित खर्च | ४२३०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| शिल्लक रक्कम | ६१.६८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सन २०२०-२१ चे सुधारीत अंदाज | (रु.लाखात) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आरंभिक शिल्लक | ३८०२.८४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अपेक्षित उत्पन्न | ४८५.४३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एकूण उत्पन्न | ४२८८.२७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एकूण अपेक्षित खर्च | ५१७.०१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| शिल्लक रक्कम | ३७७१.२६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाज | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आरंभिक शिल्लक | ३७७१.२६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अपेक्षित उत्पन्न | ५२०.४२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एकूण उत्पन्न | ४२९१.६८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एकूण अपेक्षित खर्च | ४२३०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| शिल्लक रक्कम | ६१.६८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| निर्णय | <p>ठराव करण्यात येतो की,</p> <p>नमुमंपा वृक्ष प्राधिकरण सन २०२०-२०२१ चे सुधारित व सन २०२१-२०२२ चे मुळ अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे.</p> <p>त्यानुसार विषय क्रमांक १६ ठराव क्रमांक ६६०, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे नवी मुंबई महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरणाचे सन २०२०-२०२१ चे सुधारित व सन २०२१-२०२२ चे मुळ अर्थसंकल्पीय अंदाज प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबीसह अधिनियमाच्या कलम १०० अन्वये अंतिम स्विकृती देण्यात येत आहे.'</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

सही/-
(चित्रा बाविस्कर)
नगरसचिव
नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-
(अभिजीत बांगर)
आयुक्त तथा प्रशासक
नवी मुंबई महानगरपालिका

| | |
|--|--|
| विषय क्र.१७. दि. १७ फेब्रुवारी, २०२१ | सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरीता मालमत्ता कराचे दर ठरविण्याबाबत, आयुक्तांचे दिनांक १६/०२/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुमंपा/कनिस/४२२/२०२१. |
| ठराव क्र.६६१. | "उपरोक्त संदर्भात सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरीता मालमत्ता कराचे दर ठरविण्याबाबत, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शासकीय वर्ष सन २०२०-२१ चे निवासी मालमत्तासाठी मालमत्ता कराचे दर त्यांच्या करपात्र मुल्याच्या ३२.६७ टक्के आहेत. तसेच अनिवासी व औद्योगिक मालमत्तासाठी मालमत्ता कराचे दर त्यांच्या करपात्र मुल्याच्या ५३.३३ टक्के आहेत. नवी मुंबईतील निवासी, अनिवासी व औद्योगिक मालमत्ता धारकांवर सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता कराचे दर प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ९९ अन्वये मा. आयुक्त व मा. प्रशासक यांची मंजुरी देण्यात यावी." |
| निर्णय : | <p>ठराव करण्यात येतो की,</p> <p>सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरीता मालमत्ता कराचे दर ठरविण्याबाबत, सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन केले आहे.</p> <p>त्यानुसार विषय क्रमांक १७ ठराव क्रमांक ६६१, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शासकीय वर्ष सन २०२०-२१ चे निवासी मालमत्तासाठी मालमत्ता कराचे दर त्यांच्या करपात्र मुल्याच्या ३२.६७ टक्के आहेत. तसेच अनिवासी व औद्योगिक मालमत्तासाठी मालमत्ता कराचे दर त्यांच्या करपात्र मुल्याच्या ५३.३३ टक्के आहेत. नवी मुंबईतील निवासी, अनिवासी व औद्योगिक मालमत्ता धारकांवर सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता कराचे दर प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या बाबींसह महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ९९ अन्वये मा. आयुक्त व मा. प्रशासक यांची मंजुरी देण्यात येत आहे.</p> |

सही/-
 (चित्रा बाविस्कर)
 नगरसचिव
 नवी मुंबई महानगरपालिका

सही/-
 (अभिजीत बांगर)
 आयुक्त तथा प्रशासक
 नवी मुंबई महानगरपालिका